दायाधिकार (Inheritance) :-

विशेषतायें -

(1) 1. उत्तराधिकारी :- (Heirs) सुन्नी विधि में उत्तराधिकारी दो प्रकार के होते हैं

(i) रिस्तेदार :- (हिस्सेदार) इस कोटि में 12 रिस्तेदार आते हैं जिनमे स्त्री तथा पुरुष दोनो सम्मिलित हैं।

(ii) अवशिष्ट (Residuaries) :- ये रिस्तेदार किसी निश्चित हिस्से के भागीदार नही होते वरन् जब कोई रिस्तेदार नही बचता है तो ये उत्तराधिकारी होते हैं।

(iii) दूरस्थ सम्बंधी :- इसमें दूर के रिस्तेदार आतें हैं तथा उपरोक्त उत्तराधिकारी न होने पर ही इन्हें उत्तराधिकारी माना जाता है।

2. गैर उत्तराधिकारी :- ये वे उत्तराधिकारी होते हैं जो रक्त से सम्बंधित नही होते हैं। वरन् संविदा द्वारा, अभिस्वीकृति द्वारा, वसीयत द्वारा तथा सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं।

⇒ शिया विधि के उत्तराधिकारी -

इसमें दो वर्ग के उत्तराधिकारी हैं -

(1) हिस्सेदार
(2) अवशिष्ट

(2) विरासत योग्य सम्पत्ति (Heritable property) :-

मुस्लिम विधि में कफन दफन का खर्च, कोर्ट का खर्च, मृतक की मृत्यु के पूर्व 3 माह तक सेवा करने वाले की मजदूरी, कर्ज, वसीयती दान को मृतक की सम्पति से काट कर शेष विरासत योग्य मानी जायेगी। जिसमें मृतक की चल, अचल, स्व-अर्जित तथा पैतृक सम्पत्तियों को शामिल किया जाता है।

Scanned with CamScanner

③ संयुक्त कुटुम्ब की उपधारणा नही – (No presumption as to Joint family)

हिन्दू विधि की भाँति इसमे कोई उपधारणा नही होती है। यह उससे भिन्न है।

हकीम रहमान बनाम मो० महमूद हसन AIR 1947 Pat. 559

किसी मुस्लिम की मृत्यु पर उसकी पूरी सम्पदा तुरन्त वारिसो को चली जाती है और वे एक निश्चित अनुपात में हिस्सेदार हो जाते हैं।

④ विरासत कब खुलती है (When Inheritance opens)

मुसलमान के मृत्यु पर ही विरासत खुलती है, उसके पूर्व वारिस उस सम्पत्ति को हक के रूप में नहीं माँग सकते हैं।

⑤ प्रतिनिधित्व का नियम – (Rule of Representation)

मृतक से पहले ही उसका वारिस मर जाता है तो शिया विधि में उसके प्रतिनिधि उसको मिलने वाला हिस्सा प्राप्त करते हैं जब कि सुन्नी विधि में केवल वारिसो तक ही सीमित है।

⑥ हिस्सों के अवधारण के नियम – (Rule to determine shares)

सुन्नी विधि में हिस्सो का आवंटन प्रति व्यक्ति किया जाता है परन्तु शिया विधि में शाखावार किया जाता है।

⑦ अपवर्जन का नियम – (Rules of Exclusion)

निकटतम रक्त सम्बंधी वारिस अधिक दूर वाले वारिस को अपवर्जित कर देता है।

⑧ सम्पूर्ण अपवर्जन – (Total Exclusion)

⇒ कोई व्यक्ति हत्या जाने या अनजाने मे कर देता है तो सुन्नी विधि मे वह उत्तराधिकार से अपवर्जित हो जायेगा लेकिन शिया विधि मे केवल जानबूझ कर हत्या करता है तभी अपवर्जित होगा।

⇒ अवैध संताने सुन्नी विधि मे माता-पिता से विरासत नही माँग सकती हैं किन्तु शिया विधि में वह केवल माता से विरासत पाने की हकदार है।

⇒ विरासत खुलने से पहले यदि किसी ने लेने से इन्कार कर दिया हो तो वह वंचित हो जायेगा (विबन्धन)

Scanned with CamScanner

(1) जन्म से अधिकार नही - (No right by birth)

मुस्लिम विधि में वारिस को जन्म से अधिकार प्राप्त नही होते बल्कि उत्तराधिकारी को सम्पत्ति मे अधिकार उसके पूर्वज की मृत्यु पर ही प्राप्त होता है।

⇒ मुस्लिम विधि मे निहित हित :-

मुस्लिम विधि में सम्पत्ति बिना स्वामी के नही रह सकती है। स्वामी के मृत्यु के बाद तुरन्त उत्तराधिकारियों में उनके हित के अनुसार चली जाती है। मृत्यु के पहले उसका कोई उत्तराधिकारी सम्पत्ति पाने का दावा नही कर सकता है।

विधिक परिणाम -

1. उत्तराधिकारियो में सम्पत्ति उनके शेयर के अनुसार चली जाती है।
2. यदि कोई कर्ज हो तो उत्तराधिकारी को हिस्से के अनुपातानुसार देना होगा
3. यदि उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाये तो उसका हिस्सा उसके वंशज जो उत्तराधिकारी होगें मिलेगा।

उदा० :- A का पुत्र X व पुत्री Y है, A की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति का 2/3 भाग X को व 1/3 भाग Y को मिलेगा। यदि उसके बाद X की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका 2/3 भाग उसके पुत्र X₁ को मिलेगा।

प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त - (Principle of Representation)

प्रतिनिधित्व सिद्धान्त का अर्थ है कि किसी सम्भाव्य उत्तराधिकारियों को उसकी सम्पत्ति मिलेगी यदि वह मौजूद न हो (मृत्यु हो जाने पर)। लेकिन सुन्नी विधि इस सिद्धान्त को मान्यता नही प्रदान करती है।

⇒ सुन्नी विधि में सबको बराबर तथा शिया विधि मे अनुपातिक रूप से अंशो का विभाजन होता है।

मुल्ला कासिम बनाम मुल्ला अब्दुल (1905) -
इस वाद मे अ नामक सुन्नी मुसलमान के क व ख दो पुत्र थे, अ के जीवनकाल मे क पुत्र ग को छोड़कर मर गया। निर्णित हुआ ग कुछ नही पायेगा सभी सम्पत्ति ख को चली जायेगी।

Scanned with CamScanner

उदा० - 1

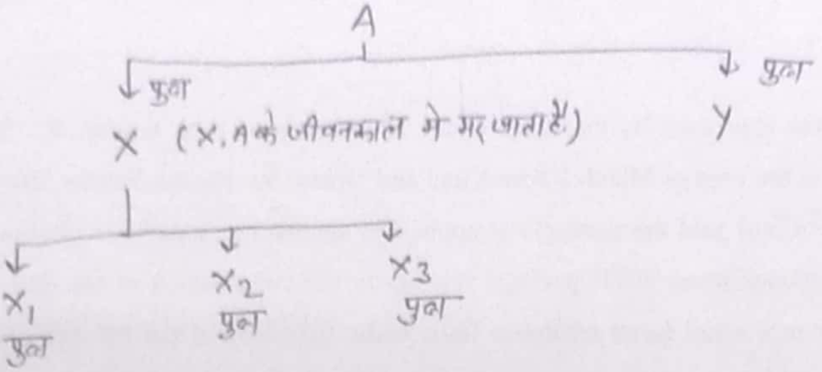

उपरोक्त उदाहरण मे A के दो पुत्र X व Y है A के जीवनकाल मे X की मृत्यु हो जाती है जिसके तीन पुत्र X_1, X_2 व X_3 है।

⇒ शिया विधि में A की सम्पत्ति के हिस्सेदार Y, X_1, X_2 व X_3 होगे जो निम्न अनुपात में हिस्सेदार होगें $A = \frac{1}{2}$, $X_1 = \frac{1}{6}$ $X_2 = \frac{1}{6}$ $X_3 = \frac{1}{6}$ भाग

⇒ सुन्नी विधि में सारी सम्पति केवल Y को मिलेगी X_1, X_2 व X_3 को कुछ नही मिलेगा।

उदा० - 2

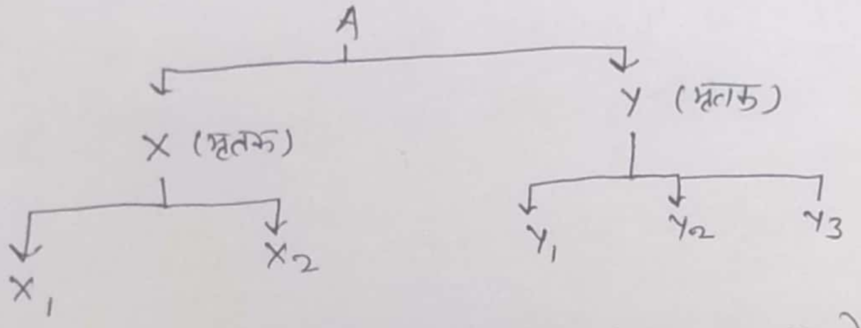

A के दो पुत्र X व Y है जो A के जीवन काल मे ही मर जाते है X के दो पुत्र X_1 व X_2 है तथा Y के तीन पुत्र Y_1, Y_2 व Y_3 है।

	X_1	X_2	Y_1	Y_2	Y_3
शिया विधि मे हिस्सा -	1/4	1/4	$\frac{1}{6}$	1/6	1/6
सुन्नी विधि मे हिस्सा	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

अर्थात शिया विधि मे अनुपातिक आधार पर तथा सुन्नी विधि मे सबको समान हिस्सा मिलता है।

Scanned with CamScanner

उत्तराधिकार से वंचित करने का आधार :- (Grounds of exclusion)

मुस्लिम विधि के प्रसिद्ध ग्रंथ अलसिराजियाह के अनुसार निम्न 4 आधार है जिससे उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है –

1. दासता (Slavery) (×)
2. इस्लाम धर्म त्याग (Conversion) (×)
3. हत्या (Homicide) (✓)
4. अवैधता (Illegitimacy) (✓)

दासता उन्मूलन अधिनियम 1843 तथा जाति निर्योग्यता निवारण अधि० द्वारा अब दासता व धर्म त्याग के आधारों को समाप्त कर दिया गया है।

① **हत्या** :-

हत्या 4 प्रकार से हो सकती है –

① आशय से ② गलती से ③ लापरवाही (Negligence) ④ दुर्घटनावश

⇒ सुन्नी विधि के अनुसार कोई व्यक्ति हत्या चाहे उपरोक्त किसी भी तरह से करता है वह उत्तराधिकार से वंचित हो जायेगा।

⇒ शिया विधि के अनुसार यदि हत्या जानबूझकर नही की गयी है तो वह उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

② **अवैधता** :-

सुन्नी विधि के अंतर्गत अवैध संतानो को पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नही माना जाता बल्कि वह माता की सम्पत्ति से उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है।

शिया विधि के अनुसार अवैध संतान न पिता के और न ही माता की सम्पत्ति से उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है।

शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता व व्यभिचार शिया व सुन्नी कानून में उत्तराधिकार से वंचित करने का आधार नही है।

Scanned with CamScanner

③. **धर्म त्याग** ÷

यदि कोई उत्तराधिकारी धर्म परिवर्तन कर गैर मुस्लिम हो गया हो तो भी वह मुस्लिम मृतक का उत्तराधिकारी पूर्ववत बना रहेगा।

⇒ **सुन्नी विधि के अंतर्गत हिस्सेदार** — (Practical calculation)

सुन्नी विधि मे सम्पत्ति दो भागो के लोगो मे विभाजित होगी, हिस्सेदार व अवशिष्ट ग्राही। हिस्सेदार को देने के बाद जो कुछ बचेगा वह अवशिष्ट ग्राही को चला जायेगा। इसमें निकटतम सम्बंध वाला दूर के रिश्ते को अपवर्जित कर देता है।

EXP — पिता जिन्दा है तो दादा को अपवर्जित कर देगा।

① पति — (पत्नी की सम्पत्ति से) — पति को 1/4 मिलेगा यदि कोई संतान मौजूद है जैसे पुत्र या पुत्र की संतान (↓)

⇒ कोई संतान न हो या पुत्र का पुत्र न हो (↓) तो उसे 1/2 भाग मिलेगा।

② पत्नी (पति की मृत्यु) पर ÷

$\frac{1}{8}$ भाग → जब बच्चे हो या बेटे की संतान हो।

$\frac{1}{4}$ भाग → जब बच्चे न हो या बेटे की संतान न हो।

③ पुत्री ÷

$\frac{1}{2}$ → यदि एक पुत्री है

2/3 → दो या अधिक पुत्री हो तो सबका मिलाकर

[पुत्री को तभी मिलेगा जब बेटा न हो, बेटा होने पर पुत्री अवशिष्ट हो जायेगी]

④ पिता ÷

$\frac{1}{6}$ → बेटा है या बेटे का बेटा है

$\frac{1}{6}$ + अवशिष्ट → यदि एक या एक से ज्यादा बेटियाँ हो

कुल सम्पत्ति पायेगा (अवशिष्ट के तौर पर) — यदि कोई संतान न हो।

Scanned with CamScanner

(5) पुत्र की पुत्री ÷

1/2 भाग → यदि बेटा नही है या पुत्र का पुत्र नही है।

2/3 भाग → जब दो या अधिक पुत्र की पुत्रिया हो [कोई पुत्र का पुत्र न हो]

अपवाद – यदि पुत्र के पुत्र की पुत्री (↓) जीवित है [Grand daughter] वह चाहे एक हो या अधिक हो कुल मिलाकर 1/6 भाग पायेगी और पुत्र की पुत्री एक या दो या अधिक हो तो 1/6 भाग पायेगी।

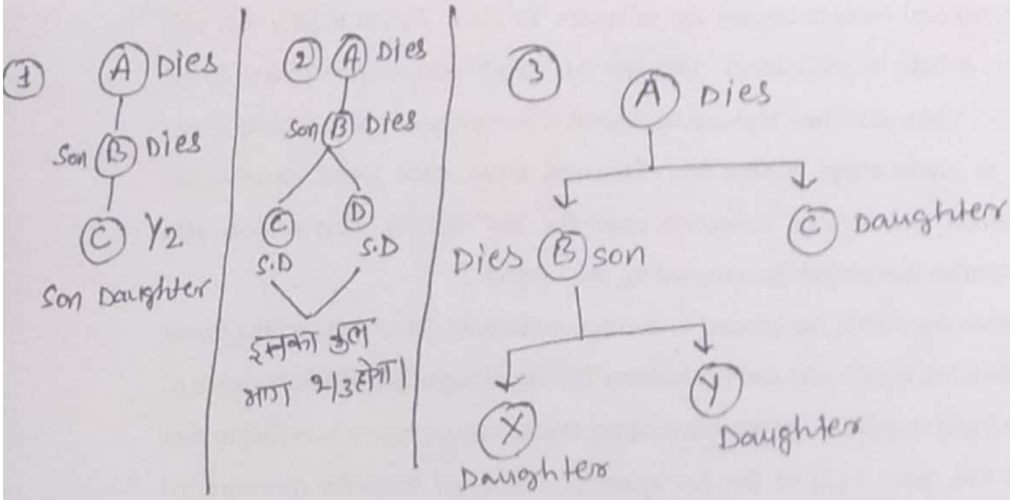

→ C का भाग = 1/2

→ X का भाग + Y का भाग = 1/6

(4) → यदि दो या दो अधिक पुत्री जीवित हो तो पुत्र की पुत्रियों को अपवर्जित कर दिया जाता है।

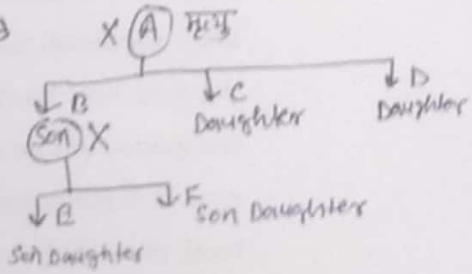

→ C, D मिलकर 2/3 पायेगी

→ EF अपवर्जित होगी

(6) माता (Mother) ÷

1/6 भाग → पुत्र या पुत्र के पुत्र उपस्थित हो (जीवित हो)↓

1/6 भाग → दो या दो से अधिक भाई बहन हो या 1 भाई + 1 बहन हो वहाँ भी लागू (मरनेवाले के) (भाई बहन चाहे सगोत्र या पूर्ण या हाफ हो)

1/3 भाग → यदि कोई पुत्र या पुत्र की कोई संतान न हो या 1 भाई व बहन न हो

{ 1/3 भाग → यदि मरने वाले की (पति या पत्नी जीवित हो और पिता भी जीवित हो तो मिलेगा)
(जो बचेगा उसका 1/3 होगा - अवशिष्ट)

(7) सगी बहन (Full Sister) :-

1/2 भाग → यदि अकेली हो। [जब मरनेवाले का कोई पुत्र, पुत्र की संतान, पिता या भाई न हो, यदि भाई है तो बहन अवशिष्ट पायेगी]

2/3 भाग → जब दो या दो से अधिक बहन हो और कोई वंशज या पूर्वज न हो (मरने वाले का)

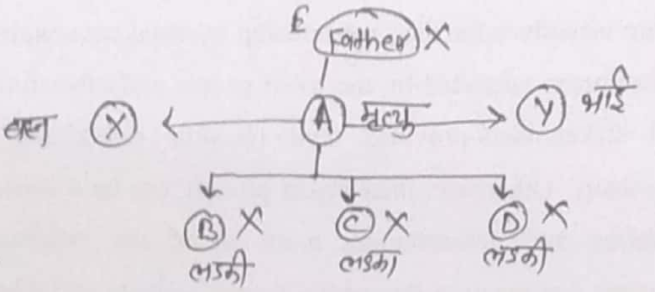

यहाँ भाई Y सम्पति पायेगा, बहन X केवल अवशिष्ट पायेगी अर्थात Y = 2/3
X = 1/3

(8) सगोत्री बहन (Consanguine sister) :- (Agnate)

1/2 भाग → यदि कोई संतान न हो या पुत्र की संतान न हो पिता या पितामह न हो सगे भाई न हो। या सगी बहन न हो या सगोत्र भाई न हो।

2/3 भाग → दो या दो से अधिक हो। (बराबर पायेगी)

1/6 भाग → यदि 2 सगोत्री बहन हो और एक सगी बहन हो तो सगी बहन को 1/2 तथा सगोत्री बहनों को कुल 1/6 भाग से ही मिलेगा।

→ यदि 2 सगी बहने हो या अधिक हो तो उनको 2/3 मिलेगा और सगोत्री बहनो को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

→ यदि एक सगोत्री बहन तथा एक सगोत्र भाई हो तो वहाँ सगोत्री बहन अवशिष्ट पायेगी अर्थात सगोत्र भाई - 2/3
सगोत्री बहन - 1/3

(9) सहोदर भाई व बहन (uterine) :-

1/6 भाग → यदि एक हो तथा कोई पूर्वज या वंशज या सगा / सगोत्र भाई, बहन न हो

1/3 भाग → जब भाई बहन (सहोदर) दो या ज्यादा हो कोई पूर्वज, वंशज, सगा, सगोत्र भाई बहन न हो।

Scanned with CamScanner

(10) वास्तविक पितामह (True Grand Father) :-

1/6 भाग → मरने वाले के यदि संताने है लेकिन पिता नही है।
(पिता होगा तो दादा को नही मिलेगा)

1/6 भाग + अवशिष्ट → यदि मरने वाले की केवल पुत्री हो कोई पुत्र न हो, पिता न हो।

अवशिष्ट मिलेगा → यदि कोई संतान न हो, पिता न हो

(11) वास्तविक पितामही (True Grand mother) - दादी / नानी

1/6 भाग → मरने वाले की माँ नही है, पितामह नही है

1/6 भाग → दादी नानी दोनो है तो मिलकर 1/6 लेगी

⇒ वास्तविक पितामही (दादी/नानी) कभी भी अवशिष्ट नही प्राप्त कर सकती है। केवल कुरानिक सम्पति पाती है।

⇒ माँ हो तो नानी नही पायेगी, पिता हो तो दादी नही पायेगी कुछ भी।

Scanned with CamScanner

शिया विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार :-

शिया विधि मे दो तरह के उत्तराधिकारी होते है-

1. हिस्सेदार
2. अवशिष्ट - (हिस्सेदारो को छोड़कर सभी अवशिष्ट होते है)

इनको तीन वर्गो मे बाँटा गया है।

वर्ग-I
(1) माता-पिता।
(2) संताने तथा अन्य वंशज।

वर्ग-II
(1) पितामही - पितामह ↑ (दादी-दादा) (नानी-नाना)
(2) भाई बहन और उनके वंशज।

वर्ग-III
(1) मृतक के चाचा, बुआ न होने पर उनके वंशज (निकट दूर को अपवर्जित)
(2) मामा, मौसी न होने पर उनके वंशज (निकट दूर को अपवर्जित)

प्रथम वर्ग :-

माता-पिता व संतान एक साथ उत्तराधिकार के क्रम मे आते है।
→ यदि प्रथम वर्ग में कोई उत्तराधिकारी न हो तो दूसरे या तीसरे वर्ग में जायेगे।
→ निकटतम नातेदार दूर के नातेदार को अपवर्जित कर देता है।
→ हिस्सेदार :- ① पिता $\frac{1}{6}$ भाग → यदि वंशज हो, वंशज नही है तो अवशिष्ट होगा

② माता $\frac{1}{6}$ भाग → या 1/3 भाग

③ पुत्र हमेशा अवशिष्ट के रूप मे रहता है

④ पुत्रियाँ $\frac{1}{2}$ या 2/3 (1+ पुत्री हो), यदि पुत्र हो तो पुत्री अवशिष्ट होगी

अर्थात्- पुत्र 2/3 व पुत्री 1/3 भाग पायेगी।

⑤ पुत्र पुत्री के न होने पर उनकी संताने पायेगी
→ पौत्र, पौत्री अपने पिता का हिस्सा पायेगी (पुरुष, स्त्री का दुगा पायेगा)
→ पुत्री की संतान अपने माता का हिस्सा लेगी (पुरुष, स्त्री का दुगा लेगा)

Scanned with CamScanner

द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी :-

Rule-1 पितामह व पितामही के विषय में बिना भाई बहन या उनके वंशज के -

1. पितामह व पितामही 2/3 भाग पायेगें आपस मे बाँटेगे (पुरुष, स्त्री का दुगा)
2. नाना नानी 1/3 भाग प्राप्त करेगें, आपस मे बाँट लेगें (पुरुष, स्त्री का दुगा)

Rule-2 दादा दादी, नाना, नानी के अभाव में भाई बहन प्राप्त करेगें जिनमें पूर्ण रक्त अर्द्ध रक्त को वंचित करेगा। लेकिन सहोदर भाई बहन वंचित नही होगें।

Rule-3 (1) दादा दादी मे दादा सगोत्र भाई की भाँति व दादी पूर्ण या सगोती बहन की भाँति माने जाते हैं।

(2) नाना सहोदर भाई तथा नानी सहोदर बहन की भाँति माने जाते हैं।

तृतीय वर्ग के उत्तराधीकारी :-

1. 2/3 सम्पति चाचा बुआ के लिए, 1/3 सम्पति मामा मौसी के लिए

→ सहोदर चाचागण एक से अधिक हो तो 1/3 यदि एक हो तो 1/6 भाग मिलेगा।

→ सहोदर मामा व मौसी एकसे अधिक होतो 1/3 यदि एक हो तो 1/6 भाग मिलेगा।

⇒ शेष सम्पति को पूर्ण मामा और मौसियों में बराबर बाँटा जाता है उनके न होने सगोत्रीयो के बीच बाँटा जाता है।

Scanned with CamScanner

पैतृकता (Parentage) :- (पितृत्व)

पिता व संतान के बीच के सम्बंध को पैतृकता कहते हैं और माता तथा संतान के बीच सम्बंध को मातृकता कहते हैं।

बच्चे की पैतृकता उसके माता पिता के बीच हुए विवाह से निश्चित की जाती है। विवाह मान्य या अनियमित हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए।

पैतृकता निर्धारण के नियम :- (Rules for determination of paternity)

① विवाह के आधार पर —

विल्सन महोदय के अनुसार — पिता की पैतृकता सिद्ध करने के लिए स्थापित सिद्धान्त है कि बालक उसके द्वारा ऐसी स्त्री से उत्पन्न किया गया था जो गर्भाधारण के समय उसकी विधिक पत्नी थी या जो सद्भावना पूर्वक ऐसा समझता था कि उसकी पत्नी है।

② विवाह से भिन्न आधार पर (Other than ground of marriage)

विवाह ऐसा आधार है जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध रहता है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न हो तो परोक्ष (Indirect) प्रमाण के आधार पर विवाह का अनुमान कर लिया जाता है जैसे —

1. स्त्री पुरुष के दीर्घकालीन सहवास के आधार पर।
2. पिता की स्वीकृति द्वारा।

मातृत्व का निर्धारण :- (Maternity determined)

शिया विधि में केवल संतान का पैदा होना ही पर्याप्त नहीं है, संतान वैध विवाह द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए

सुन्नी विधि के अनुसार संतान चाहे वैध विवाह से उत्पन्न हो या व्यभिचार से, उसकी मातृकता ऐसी स्त्री से होगी जिसने उसे जन्म दिया है।

Scanned with CamScanner

संतान की वैधता की उपधारणा (Presumption of legitimacy of child)

मुस्लिम विधि में निम्न नियम है-

(1) वह संतान जो विवाह के 6 माह के अन्दर पैदा होती है, अवैध मानी जाती है जब तक पिता उसे स्वीकार न कर ले।

(2) संतान जो विवाह के 6 माह बाद उत्पन्न होती है, वैध मानी जाती है जब तक पिता उस संतान को अस्वीकार न करे।

(3) विवाह विच्छेद के बाद उत्पन्न बच्चा वैध माना जायेगा, यदि वह -

(i) विवाह विच्छेद से 10 माह के अन्दर पैदा हुआ हो (शिया विधि)

(ii) विवाह विच्छेद से 2 वर्ष के अन्दर पैदा हुआ हो (हनफी विधि)

(iii) विवाह विच्छेद के 4 वर्ष के अन्दर पैदा हो (शफी व मालिकी विधि)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ÷

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार पति पत्नी मे विवाह कायम रहते कोई संतान उत्पन्न होती है या विवाह विघटन के उपरान्त 280 दिनो के अन्दर यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा उसके पूर्व पति का माना जायेगा जब तक पूर्व पति उसे गलत न साबित कर दे। बशर्ते विवाह विच्छेद के बाद उस स्त्री ने दूसरा विवाह न किया हो।

दुख्तर जहाँ बनाम मुहम्मद फारुख (1987) 1 SCC 624

इस वाद में विवाह के 7 माह बाद ही बच्चे का जन्म हुआ था। उसके कुछ समय बाद मु० फारुख ने दुख्तर जहाँ को तलाक दे दिया। तलाक के बाद पत्नी ने Cr.PC की धारा 125 में स्वयं के लिए तथा अपने बच्चे (पुत्री) के लिए भरण पोषण की माँग की। पति का तर्क था कि वह पुत्री को भरण पोषण नही देगा क्यो कि वह उसकी जायज संतान नही है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधि० की धारा 112 के अंतर्गत यदि यह थोडा सा भी संदेह हो कि पति पत्नी का विवाह पूर्व मिलने की सम्भावना थी या परिस्थितियाँ संकेत न करती हों कि पति-पत्नी के बीच संतान को जन्म देने की सम्भावना बिल्कुल ही न हो, माना जायेगा कि वह उसी की संतान है

Scanned with CamScanner

क्या साक्ष्य अधिनियम मुस्लिम विधि का अतिक्रमण करती है?

डी० एफ० मुल्ला के अनुसार - साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान मुस्लिम विधि को अधिक्रमित (Supersede) करती है।

शौबी मुहम्मद बनाम मोहम्मद के वाद में भी निर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम मुस्लिम विधि को अधिक्रमित करती है। [धारा 112 के संदर्भ में]

⇒ वैधता की अभिस्वीकृति का सिद्धान्त (Doctrine of ackowledgement of Legitimacy) :-

मुस्लिम विधि किसी बच्चे की धर्मजता (Legitimacy) केवल पितृत्व (Paternity) और अभिस्वीकृति (Acknowledgement) द्वारा स्वीकार करती है।

किसी व्यक्ति का विवाह हुआ लेकिन उसका ठीक समय की कब हुआ साबित नहीं किया जा सकता है तब वह व्यक्ति अभिस्वीकृति द्वारा बच्चे का पिता बनता है।

अभिस्वीकृति की मान्य शर्तें :-

① बच्चे का पितृत्व अनिश्चित हो (Paternity must be unknown)

अभिस्वीकृति का नियम वहाँ लागू नहीं होता जहाँ बच्चे के पिता के बारे में सही जानकारी हो। अर्थात बच्चे का पितृत्व अनिश्चित हो।

मो० खान बनाम अली खान AIR 1981 Mad. 209

निर्धारित हुआ कि अभिस्वीकृति का नियम वही लागू होता है जहाँ बच्चे के पिता के बारे में सही जानकारी न हो।

मोहम्मद अल्लाहदाद बनाम मोहम्मद इस्माइल (1888) 10 All 279

अल्लाह दाद ने दावा किया कि वह गुलाम गौस सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उसकी सम्पत्ति मे 1/2 का हिस्सेदार है। छोटे भाई इस्माइल ने कहा कि वह उसकी माँ का ही पुत्र था लेकिन वह गुलाम गौस से शादी से पहले ही उत्पन्न हुआ था, और उसके पिता गुलाम गौस ने उसे स्वीकार किया था।

Scanned with CamScanner

निर्णित हुआ कि वैधता प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो तो अप्रत्यक्ष साक्ष्य ही पर्याप्त होता है उसी आधार पर अल्लाहदाद को सम्पति प्राप्त करने का अधिकार था क्यों कि अल्लाहदाद के पितृत्व के बारे में कोई प्रमाण नही था और यह साबित नही किया गया कि अल्लाहदाद अधर्मज था। तथा गुलाम गौस ने अल्लाहदाद को धर्मज के रूप मे स्वीकार किया था।

अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने पर संतान के माता-पिता के बीच वैध विवाह की उपधारणा कर ली जाती है —

(1) पुरुष-स्त्री के बीच लम्बे समय तक सम्भोग।

(2) पुरुष का किसी स्त्री को पत्नी स्वीकारने पर

(3) पुरुष द्वारा अपने आप को किसी शिशु के पिता के रूप में अभिस्वीकृति प्रदान करने पर।

(2) संतान अधर्मज न हो (Must not be illegitimate child)

जारकर्म (Adultery) कुँवारेपन या व्यभिचार (जिना) द्वारा उत्पन्न संतान को धर्मजता नही प्रदान की जा सकती है। अर्थात अभिस्वीकृत किया गया बच्चा धर्मज होना चाहिए।

सदिक हुसैन बनाम हाशिम अली (1916) 43 IA 212

निर्धारित किया कि कुँवारेपन या व्यभिचार से उत्पन्न संतान अभिस्वीकृति लायक नही होती है।

(3) पिता-बच्चे की आयु में पर्याप्त अन्तर हो-

पिता जिसको अभिस्वीकृत करता है उसके व पिता के उम्र मे इतना अन्तर होना चाहिए कि वे पिता-पुत्र दिखे। अर्थात पिता और बच्चे की उम्र मे $12\frac{1}{2}$ वर्ष का अन्तर होना चाहिए। जब बच्चा गर्भ मे रहा हो उस समय भी अभिस्वीकर्ता की सक्षमता सम्भोग करने की हो नही कर सकता

उदा० - 100 वर्ष का पिता 5 साल के बच्चे को अभिस्वीकृति नही कर सकता है क्यों कि जब गर्भ में रहा होगा तो अभिस्वीकर्ता की उम्र करीब 95 वर्ष रही होगी और उस समय वह समय सम्भोग करने में अक्षम रहा होगा।

Scanned with CamScanner

④ बच्चे ने अभिस्वीकृति का समर्थन किया हो :-
यदि बच्चा पर्याप्त आयु का है तो बिना उसकी सहमति लिये अभिस्वीकृति नही की जा सकेगी। यदि बच्चा अस्वीकारता है तो वहाँ अभिस्वीकृति अवैध हो जायेगी।

Scanned with CamScanner